रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 26, 1993/भाद्र 4, 1915
No. 172] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 1993/BHADRA 4, 1915

कृषि विभाग

(कृषि और सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1993

सं. 16-2/92--बाग. प्रभा. .--कृषि में प्लास्टिक्स के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय समिति का मूल गठन रसायन और पैट्रोकैमिकल्स विभाग के अधीन 1981 में किया गया था। इस समिति का 1986 तथा फिर से 1989 में पुनर्गठन किया गया। कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इस समिति को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उसके प्रयासों को और अधिक समन्वित रूप से केन्द्रित करने के लिये कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति (अब के बाद इसे समिति कहकर उल्लिखित किया जायेगा) को कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है :--

1. सचिव (कृषि और सहकारिता)	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य
3. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य
4. अपर-सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
5. अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, आई. पी. सी. एल.	सदस्य
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब सरकार	सदस्य
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
8. निदेशक (जल प्रौद्योगिकी केन्द्र) कृषि इन्जीनियरिंग विभाग, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	सदस्य
9. डा. बी. आर. शर्मा, कुलपति, डा. वाई. एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन।	सदस्य
10. डा. ए. एम. माइकल, कुलपति, केरल कृषि त्रिचूर	सदस्य
11. नाबार्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
12. श्री सतवंत कपूर, लाजपत नगर, अबोहर, फिरोजपुर जिला, पंजाब	सदस्य

13. श्री एम. एस. खनुजा, सदस्य
अध्यक्ष
जिला खारगोने,
भारतीय किसान संघ,
नूतन नगर,
डाकघर जिला खारगोने,
मध्य प्रदेश

14. बागवानी आयुक्त, सदस्य सचिव
कृषि और सहकारिता विभाग

2. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) उपलब्ध जलसंसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाने के विशेष संदर्भ में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, उत्पाद की क्वालिटी सुधारने और कटाई उपरांत हानि को कम करने के लिये कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग के लिये योजनाएं तैयार करना ।

(2) कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए राजस्व नीति राजसहायता, किसानों के लिये सहायता आदि जैसे उपयुक्त नीतिगत उपाय संस्तुत करना ।

(3) टपका सिंचाई पद्धतियों, हरे-गृहों, ग्लिंग, पैकेजिंग आदि के विशेष संदर्भ में प्लास्टिक से बनी विभिन्न वस्तुओं के उपयोग को अधिकाधिक प्रचारित करने और अपनाने के लिए कार्य-नीतियां सुझाना ।

(4) कृषि, जल प्रबंध आदि में प्रयुक्त प्लास्टिक्स के लिए क्वालिटी सम्बन्धी मानक निर्धारित करने हेतु सहायतार्थ डाटा बेस तैयार करने के वास्ते अनुसन्धान और विकास के संवर्धन की व्यवस्था करना ।

(5) प्लास्टिक संवर्धन (प्लास्टिकल्चर) जिला कार्यक्रम और विशेषकर प्लास्टिक संवर्धन विकास केन्द्रों और सामान्य रूप से प्लास्टिक संवर्धन केन्द्रों के समग्र विकास के कार्यान्वियन का प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण और प्रबोधन करना ।

(6) देश में प्लास्टिक के संवर्धन से संबंधित कोई भी अन्य विषय ।

3. प्रारंभ में, समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होगा। समिति की आवश्यकता होने पर अक्सर लेकिन साल में कम से कम दो बार बैठक होगी। समिति वार्षिक आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

4. समिति के लिये अपेक्षित सचिवालयी सहायता इंडियन पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड से लिये गये कार्मिकों से युक्त केन्द्रीय समन्वयन सेल द्वारा दी जाती रहेगी ।

5. समिति के कार्यों के लिये की गई यात्राओं के संबंध में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों/महंगाई भत्तों के व्यय की पूर्ति समिति को दिये गये धन में से की जाएगी। अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में तत्संबंधी व्यय का वहन उनके संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा ।

6. सरकार, यदि आवश्यकता हो तो, समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों, आदि में उचित परिवर्तन कर सकती है।

डा. जी. एल. कौल, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt. of Agri. & Coopn.)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th August, 1993

No. 16-2/92-HA.—The National Committee on Use of Plastics in Agriculture (NCPA) was originally set up under the Department of Chemicals & Petrochemicals in 1981. The Committee was reconstituted in 1986 and again in 1989. In order to make this committee more effective and to focus its endeavours in a more coordinated manner for promoting the use of plastics in agriculture, it has been decided to reconstitute the National Committee on Use of Plastics in Agriculture (hereinafter referred to as the Committee) under the Department of Agriculture & Cooperation, as under :

1.	Secretary Deptt. of Agri. & Coopn.	Chairman
2.	Director General, Indian Council of Agricultural Research	Member
3.	Adviser (Agriculture) Planning Commission	Member
4.	Additional Secretary Ministry of Water Resources	Member
5.	Chairman and Managing Director, Indian Petrochemicals Ltd.	Member
6.	Agriculture Production Commissioner, Government of Punjab	Member
7.	Agriculture Production Commissioner, Government of Maharashtra	Member
8.	Director (Water Technology Centre) Deptt. of Agricultural Engineering, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore	Member
9.	Dr. B. R. Sharma, Vice-Chancellor, Dr. Y. S. Parmar University of Horiculture & Forestry, Solan	Member
10.	Dr. A. M. Michael, Vice Chancellor, Keral Agricultural University, Trichur	Member
11.	Representative of NABARD	Member
12.	Sh. Satwant Kapoor, Lajpat Nagar, Abohar, Ferozepur Distt., Punjab	Member
13.	Sh. M. S. Khamuja, President, Khargone Distt. B.K.S., Nutan Nagar, Post/Distt. Khargone, Madhya Pradesh	Member
14.	Horticulture Commissioner, DAC.	Member Secy.

2. The terms of reference of the Committtee would be as under :—

(i) To prepare plans for use of plastics in agriculture with a view to increase agricultural produc ivity with special reference to optimising the use of available water resources, improving quality of the product, and reducing post harvest losses.

(ii) To recommend suitable policy measures such as fiscal policy subsidy, assistance to farmers etc. for promotion as use of plastics in agriculture.

(iii) To suggest strategies for propogation and increased adoption of various plasticulture applications with special reference to drip irrigation systems, green houses, muloching, packaging, etc.

(iv) To arrange promotion of Research and Development to build data base, to assist in prescribing quality standards for plastics used in agriculture, water management, etc.

(v) To supervise and monitor effectively the implementation of Plasticulture Distt. Programme (PDP) and Plasticulture Development Centres (PDC) in particular and overall development of plasticulture in general.

(vi) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

3. The term of the Committee will initially be for a period of three years. The non-official members shall hold office during the pleasure of President. The Commit.ee shall meet as often as necessary but at least twice in a year. The Committee shall submit its reports to the Governmen: on annual basis.

4. The Secretarial assistance required for the Committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell consisting of personnel drawn from the Indian Petrochemicals Ltd.

5. The expenditure on TA|DA of the Vice-chancellors of Agricultural Universities and the non-official members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be set out of the funds allocated for the Committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective Departments.

6. The Government may make suitable changes in the composition and the terms of reference. etc. of the Committee if required.

DR. G. L. KAUL, Horticulture Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993